योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना

मार्गदर्शिका 2023

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
छत्तीसगढ़ शासन

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना
मार्गदर्शिका
08 मई 2023

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
नवा रायपुर, अटल नगर

परिशिष्ट ''अ''

छत्तीसगढ़ शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर-492002.
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना मार्गदर्शिका-2023

1. योजना का उद्देश्य :

1.1 माननीय विधानसभा सदस्यों से उनके निर्वाचन क्षेत्र के निवासी पूंजीगत स्वरूप के छोटे–छोटे कार्य को कराये जाने हेतु अपेक्षा रखकर संपर्क करते हैं। यह ऐसे स्थानीय महत्व के कार्य होते हैं जिसका कि तुरंत क्रियान्वयन होकर तत्काल लाभ स्थानीय जनता को मिलता है इससे प्रशासन की संवेदनशीलता एवं त्वरित कार्यवाही का आभास होता है। इसी छत्तीसगढ़ स्थानीय विकास योजना के स्थान पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना (विधायक निधि) को लागू किया गया। वर्ष 2004–05 में वार्षिक पात्रता राशि रूपये 50.00 लाख थी, जिसे वर्ष 2011–12 से बढ़ाकर रूपये 1.00 करोड़, वर्ष 2019–20 में रूपये 2.00 करोड़ तथा वर्ष 2022–23 से रूपये 4.00 करोड़ कर दिया गया है।

1.1 (क) मार्गदर्शिका की परिशिष्ट–1 में हितग्राही मूलक व अन्य कार्यों को माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से जोड़ा जा सकता है।

1.2 इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में रूपये 4.00 करोड़ उपलब्ध कराया जाता है।

टिप्पणी : कंडिका 1.2

"योजनान्तर्गत विधायकगण केवल अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रतिवर्ष निर्धारित कुल निधि रूपये 400.00 लाख का 74% अर्थात रूपये 296.00 लाख (रूपये दो सौ छियानबे लाख) की लागत के पूंजीगत प्रकृति के छोटे–छोटे कार्य, जो एक या दो सीजन में पूर्ण किये जा सकें, की अनुशंसा कर सकेंगे। विधायकगण कार्य कार्यान्वित किये जाने के लिए जिला कलेक्टरों से अनुशंसा कर सकेंगे। विधानसभा सदस्यों द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर इस मार्गदर्शिका के अनुसार प्राथमिकताएं निर्धारित की जायेगी।

यदि विधायक विशेष द्वारा वर्ष में केवल एक ही कार्य अनुशंसित किया जाता है, तो इस कार्य की लागत रूपये 296.00 लाख (रूपये दो सौ छियान्बे लाख) से अधिक न होगी।

इस योजना के अंतर्गत पृथक से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र हेतु निर्धारित कुल निधि का 25% अर्थात रूपये 100.00 लाख (रूपये सौ लाख) तक के कार्यों को जनप्रतिनिधियों के अनुशंसा पर उसी विधानसभा क्षेत्र हेतु जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत मार्गदर्शिका के अनुरूप कलेक्टर द्वारा स्वीकृति जारी की जावेगी।"

1.3 (क) योजनान्तर्गत पूर्ण पात्रता राशि रूपये 396.00 लाख की अनुशंसा मान. विधायकों/प्रभारी मंत्री से वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही तक प्राप्त कर ली जावेगी। किसी भी स्थिति में 15 मार्च के पश्चात् प्राप्त अनुशंसा मान्य नहीं होगा।

1.4 प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिये प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आबंटित राशि में से 10 प्रतिशत तक की राशि का उपयोग विधायक आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत किया जा सकता है। इसके लिये ग्राम पंचायत को विधानसभा क्षेत्र में होने का बंधन नहीं रहेगा।

2 योजना की मुख्य विशेषतायें :

2.1 इस योजना के अंतर्गत जिन कार्यों की अनुशंसा की गई हो वे जिले के भीतर चल रही जिला योजनाओं और केन्द्रीय प्रायोजित तथा केन्द्रीय क्षेत्र कार्यक्रमों के अंतर्गत परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के सामान्य पैटर्न के अनुरूप होंगे। उनका कार्यान्वयन अन्य सभी के साथ–साथ ही किया जा सकता है किंतु एक तरह से वे विधानसभा सदस्य द्वारा अनुशंसित कार्य के रूप में अभिव्यक्त होंगे इस प्रकार इन कार्यों की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन के लिए निर्धारित प्रक्रिया समान कार्यों की सामान्य स्वीकृति एवं कार्यान्वयन को संचालित करने वाली प्रक्रियाओं, जिनका कार्यान्वयन लोगों की प्रतिनिधि संस्थाओं द्वारा किया जाता है, से भिन्न नहीं है। विधायकों के सुझावों को जिला कलेक्टर द्वारा संकलित किया जायेगा एवं इस मार्गदर्शिका के अंतर्गत उन पर विचार किया जायेगा तथा सामान्य प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए यथासंभव उनको जिले में चल रहे जिला योजना कार्यक्रमों एवं अन्य केन्द्रीय प्रायोजित तथा केन्द्रीय क्षेत्र कार्यक्रमों में शामिल किया जायेगा।

2.1.1 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना (एमएलएलैड्स) से निधियों को मनरेगा के साथ अधिक स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण के उद्देश्य से मिलाया जा सकता है। अभिसरण हेतु मनरेगा के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा।

2.2 इस मार्गदर्शिका की सीमा के अंतर्गत आने वाले कार्यों, जिनके लिए विधायकों ने अपनी

अनुशंसा की है, की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति संबंधित जिलों में सामान्य विभागीय प्रक्रियाओं के अनुरूप दी जायेगी। कार्यों को जिला कलेक्टर द्वारा जिले की सरकारी एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित कराया जायेगा।

2.3 इस योजना के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य मुख्य रूप से परिसंपत्ति सृजन स्वरूप के होंगें तथा सामग्री, उपकरण आदि की खरीद अथवा राजस्व खर्च की अनुमति नहीं दी जायेगी, **जब तक कि ऐसा स्पष्ट रूप से परिशिष्ट–1 में वर्णित न हो।** कार्य इस तरह के होने चाहिए, जो काम के एक अथवा दो मौसमों, में पूरे हो सकते हैं तथा जिससे टिकाऊ स्वरूप की परिसंपत्तियां सृजित होती हों। योजना के तहत स्थानीय अनुभूत आवश्यकताओं के आधार पर छोटे–छोटे विकास कार्यों का चयन किया जाना है। **कार्यस्थल का चयन ऐसा हो जो कि आम जनता के लिए उपयोगी हो।** सुझाव के अनुसार लिए जाने वाले कार्य जिला योजना, विशेषकर न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत आने वाले कार्यों की श्रेणी के होना चाहिए।

2.4 इस योजना के अंतर्गत कार्यान्वित किये जा सकने वाले कार्यों की निर्देशात्मक (सम्पूर्ण नहीं) सूची परिशिष्ट–1 में दी गई है।

2.5 योजनान्तर्गत रूपये 25.00 लाख की लागत तक के कार्यों की स्वीकृति हेतु जिला कलेक्टर अधिकृत है। कार्य की लागत यदि रूपये 25.00 लाख से अधिक हो तो ऐसे कार्यों को राज्य शासन की अनुमति से स्वीकृति दी जावेगी।

2.6 योजना के तहत किसी भी कार्य के लिए न्यूनतम राशि सामान्यतः रूपये 50,000/– से कम नहीं होना चाहिए किन्तु यदि कलेक्टर विचारोपरान्त यह समझते हैं कि इससे कम राशि वाला कार्य आम जनता के लिए लाभकारी होगा तो वह इसकी स्वीकृति दे सकते हैं।

2.7 कार्यों की सूची जिन्हे योजना के अंतर्गत अनुमेय नहीं हैं परिशिष्ट–2 में दी गई है।

इस योजना के अंतर्गत किसी भी कार्य के लिए किसी भी प्रकार के ठेकेदारों/सप्लायरों को अग्रिम राशि का भुगतान करना निषिद्ध है। जहां कहीं भी मार्गदर्शिका ठेकेदारों/प्रायोजकों को काम में लगाने की अनुमति नहीं देती वहां ठेकेदारों/प्रायोजकों को काम देना निषिद्ध है।

टिप्पणी : कण्डिका 2.7

यदि संबंधित शासकीय एजेंसी की कार्य प्रणाली अनुसार ठेकेदारी के माध्यम से कार्य कराया जाता है तो इस योजना के कार्यों हेतु ठेकेदारों के चयन के लिए, एजेंसी के विभाग की निर्धारित विभागीय प्रणाली का अनुसरण किया जायेगा।

2.8 राज्य शासन द्वारा विभिन्न निर्माण विभागों द्वारा संपादित इस योजना के कार्यों को पर्यवेक्षण प्रभार से मुक्त किया गया है। संबंधित निर्माण विभाग द्वारा केवल कार्य की लागत

के बराबर ही धनराशि की मांग की जावेगीं, जिसमें पर्यवेक्षण प्रभार (Supervision charge) नहीं जोड़े जावेंगे।

2.9 अनुशंसित कार्य की क्रियान्वयन एजेंसी का निर्धारण **जिला कलेक्टर द्वारा** किया जावे तथा विधायकों को अनुशंसित कार्यों के प्राक्कलन चिन्हित एजेंसी से हिन्दी में बनवाकर उपलब्ध करायें तथा उनसे कार्य विशेष के प्राक्कलन पर सहमति प्राप्त करने के बाद ही, कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति देवें। चिन्हित क्रियान्वयन एजेंसी से प्राक्कलन प्राप्त करते समय कार्य पूर्णता की अवधि ज्ञात कर प्रशासकीय स्वीकृति आदेश में अंकित की जावे। एजेंसी द्वारा समयावधि में कार्य पूर्ण करने में असमर्थता व्यक्त करने पर एजेंसी को परिवर्तित करने पर तत्काल विचार किया जावे।

2.10 योजना के कार्यों को चिन्हित करने के लिए कार्य स्थल पर पत्थर/धातु का एक पटल लगाया जावे। **(अनुबंध –2 अनुसार)**

2.11 जिला कलेक्टरों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना के अंतर्गत आरंभ किए जाने वाले कार्यों का रख–रखाव संबंधित स्थानीय निकाय अथवा संबंधित एजेंसी द्वारा किया जावे।

3 कार्यों की स्वीकृति तथा क्रियान्वयन :

3.1 इस योजना के अंतर्गत कार्यों के बारे में सुझाव प्राप्त करने के लिए जिला कलेक्टरों द्वारा विधानसभा सदस्यों से लिखित सुझाव मांगे जाने चाहिए अथवा अपने जिले के सभी विधानसभा सदस्यों के साथ वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में एक बैठक बुलाई जानी चाहिए। इस मार्गदर्शिका के आलोक में विधानसभा सदस्यों द्वारा अनुशंसित कार्यों की समीक्षा करने के पश्चात् जिला कलेक्टरों द्वारा योजना के अंतर्गत इन्हें विचारार्थ एवं जिला योजनाओं तथा जिलों में चल रहे केन्द्रीय प्रायोजित व केन्द्रीय क्षेत्र कार्यक्रमों में योजना के अंतर्गत प्राथमिकता दर्शाने वाले कार्यों को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।

3.2 जिला कलेक्टरों द्वारा योजना के अंतर्गत विधानसभा सदस्यों द्वारा अनुशंसित कार्यों की सूची इस प्रकार निर्धारित करने के पश्चात् यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उसमें निर्दिष्ट कार्यों को अनुमोदन और कार्यान्वयन हेतु जिले में संबंधित एजेंसियों/विभागों/संगठनों को भेजा जावेगा।

योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों के कार्यान्वयन हेतु क्रियान्वयन एजेंसी का निर्धारण जिला कलेक्टर के द्वारा किया जावेगा।

योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों के स्वरूप में एवं क्रियान्वयन एजेंसी में कार्य स्वीकृति के एक वर्ष के अंदर एक बार परिवर्तित किया जा सकता है। एक वर्ष के उपरांत इसमें किसी

भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। तथा ऐसी स्थिति में राशि आहरित ब्याज सहित शासन के शीर्ष में जमा करा दी जावे।

3.3 विधायक द्वारा उनकी कार्य अवधि में दी गई अनुशंसाओं को कार्यान्वित किया जावेगा बशर्ते, यह योजना के मार्गदर्शी निर्देशों तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनाए निधि की पात्रता के अनुरूप हों। इन स्वीकृत कार्यों को पुनः चुनाव पश्चात नवनिर्वाचित विधायक द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। पुनः चुने जाने की स्थिति में स्वयं विधायक भी ऐसे कार्यों को बदल नहीं सकेंगे।

3.4 निर्माण एजेंसी द्वारा यदि निर्धारित समायावधि से एक वर्ष पश्चात भी कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो पूरी राशि ब्याज सहित शासन के शीर्ष में जमा करा दिया जावेगा।

3.5 यदि जिला कलेक्टर उल्लेखित रूप से विधानसभा सदस्यों द्वारा अनुशंसित कार्यों की सूची में से किसी पर विचार कर उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की स्थिति में नहीं है तो उनके द्वारा यथाशीघ्र योजना विभाग को उसके कारणों, आवश्यकताओं आदि के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रतिवर्ष जून के अंत से पहले अवश्य भेजी जानी चाहिए। योजना विभाग इस रिपोर्ट की जांच करेगा और यदि आवश्यक हो तो उपयुक्त कार्यवाही करेगा।

3.6 योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग, राज्य स्तर पर इस योजना के कार्यान्वयन का नोडल विभाग होगा। योजना विभाग इस योजना के अंतर्गत जिला स्तर की सभी योजना एवं कार्यान्वयन एजेंसियों को सुपुर्द किए गए कार्यों के बारे में जिला कलेक्टरों को सहयोग, सहायता और कार्यान्वयन संबंधी सामान्य अनुदेश जारी करेगा।

3.7 चूंकि इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार की एजेंसियों जैसे कि लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग तथा आवास एवं पर्यावरण विभाग आदि के द्वारा कार्यों को विचारार्थ शामिल, स्वीकृत और कार्यान्वित किया जाएगा, अतः संबंधित जिले का कलेक्टर जिला स्तर पर इस योजना के अंतर्गत कार्यों में तालमेल बैठाने और संपूर्ण पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।

3.8 योजना के अंतर्गत शुरू किए गये सभी कार्यों पर सामान्य वित्तीय और लेखा परीक्षा प्रक्रिया लागू होगी।

3.9 निर्माण एजेंसियों को दी गई राशि पर अर्जित ब्याज को शासन के खाते में जमा किया जायेगा।

3.10 योजनान्तर्गत अनुशंसित कार्य में प्रशासकीय स्वीकृति देने के पूर्व यह बात ध्यान रखना होगा कि उक्त कार्य हेतु किसी अन्य योजना के अंतर्गत राशि आहरित की गई है।

3.11 इस योजना में स्वीकृत कार्यों की राशि जारी करने के संबंध में कार्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए किश्तों का निर्धारण कलेक्टर द्वारा दो किश्तों में किया जावेगा तथा जिन कार्यों की लागत 1.00 लाख रू. से कम है, उन कार्यों के लिये कलेक्टर एक मुश्त राशि जारी कर सकेंगे।

3.12 चुनाव होने की स्थिति में राशि का वितरण आनुपातिक रूप से किया जाएगा। (अवधि की गणना नवीन विधानसभा गठन माह के आधार पर की जाएगी।)

3.13 योजना के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटियों/न्यासों/सामाजिक संगठनों के लिये धर्मशाला भवन/सामुदायिक भवन निर्माण कार्य अनुमेय है, बशर्ते वे समाजसेवा/ कल्याण गतिविधियों में लगे हुये हैं और पिछले तीन वर्षों से कार्यरत है। सोसाइटी/न्यास/ सामाजिक संगठनों का अस्तिव उस दिन से माना जायेगा जिस तिथि से उक्त क्षेत्र में उनकी गतिविधियां शुरू हुई अथवा संगत पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत जिस तारीख से उनका पंजीकरण हुआ हो, जो भी बाद में हो। लाभार्थी सोसाइटी/न्यास/सामाजिक संगठन एक मान्यता प्राप्त लोकप्रिय/ बिना लाभ के काम करने वाली क्षेत्र में अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त संस्था होगी। भूमि का स्वामित्व सोसाइटी/न्यास/सामाजिक संगठनों के पास रह सकता है, लेकिन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना निधियों से निर्मित इमारत राज्य सरकार की ही सम्पत्ति होगी। इस योजना के अन्तर्गत निर्मित परिसम्पत्ति का परिचालन, प्रबन्ध एवं रखरखाव सोसाइटी/न्यास/सामाजिक संगठनों को ही करना होगा। सोसाइटी/न्यास/सामाजिक संगठनों को जिला प्राधिकारी के साथ सरकार के पक्ष में एक औपचारिक करार (परिशिष्ट–4 पर एक नमूना करार दिया गया है) करेगा। यह करार 10 रूपये या उससे अधिक के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर संगत पंजीकरण अधिनियम के अधीन पंजीकृत किया जायेगा। किसी सोसाईटी/न्यास/ सामाजिक संगठन विशेष के जीवनकाल में एक अथवा उससे अधिक कार्यों के लिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना निधियों से अधिकतम रूपये 12.00 लाख तक स्वीकृत किया जा सकता है। इस निधि से संस्था को स्वीकृत कार्य के लिये स्वीकृत राशि के बराबर या उससे अधिक राशि का कार्य संस्था द्वारा स्वीकृति के पूर्व में ही करा लिया जाना आवश्यक होगा। इस हेतु शासकीय एजेन्सी का चयन जिला कलेक्टर द्वारा ही किया जावेगा किन्तु कार्य का भुगतान, शासकीय निर्माण एजेंसी द्वारा किये गये मूल्यांकन के आधार पर ही किया जा सकेगा। किसी ऐसी सोसाइटी/न्यास को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना निधियों की स्वीकृति नहीं दी जायेगी, जिसमें अनुशंसा करने वाला विधायक अथवा उसके परिवार का कोई भी सदस्य उस पंजीकृत सोसाइटी अथवा न्यास का अध्यक्ष/सभापति अथवा प्रबंधन समिति का सदस्य अथवा न्यासी है।

3.14 परिवार के सदस्यों में, विधानसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य के पत्नि/पति, उनके माता–पिता, भाई एवं बहन, बच्चे, पोते–पोतियों और उनके पति अथवा पत्नि शामिल होंगे।

3.15 **एम्बुलेंस/शव वाहनः-** विधायक की सिफारिश पर जिला प्राधिकारी/सीएमओ/ जिले के सिविल सर्जन एवं निजी संगठनों द्वारा वाहनों की खरीद की अनुमति दिया जाएगा।

- ❖ विधायक के प्रस्ताव पर सीएमओ/सिविल सर्जन/जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश से रोगी वाहन/शव वाहनों की खरीद की जाएगी।
- ❖ इस प्रकार खरीदे गए रोगी वाहन/शव वाहनों का मालिकाना हक जिला प्राधिकारी/ सीएमओ/सिविल सर्जन के पास रहेगा और इनके सामान्य सर्वेक्षण का कार्य सीएमओ/सिविल सर्जन देखेंगे। सीएमओ/सिविल सर्जन पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए और सीएमओ/सिविल सर्जन तथा जिला मजिस्ट्रेट के दो अन्य प्रतिनिधियों को शामिल करके बनाई गई 03 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर तथा कलेक्टर के विधिवत अनुमोदन से राष्ट्रीय/राज्य स्तर के ख्याति प्राप्त ट्रस्टों/सोसाइटियों को एक बार में दो वर्ष की अवधि के लिए इन वाहनों की संचालन सेवाएं आउटसोर्स कर सकते है।
- ❖ रोगी वाहन/शव वाहन का संचालन करने वाला ट्रस्ट/सोसाइटी इन वाहनों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगी। पीओएल और ड्राइवर तथा उपभोक्ता प्रभार जिला प्राधिकारी (समिति की सिफारिश) द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। जिला प्राधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि निर्धारित किए गए प्रभार युक्ति–संगत तथा आम आदमी के लिए वहनीय हो।
- ❖ जिला कलेक्टर, आम आदमी को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए इन रोगी वाहनों/शव वाहनों द्वारा दी जा रहीं सेवाओं की निगरानी करेंगे, और
- ❖ इस प्रकार खरीदे गए रोगी वाहन/शव वाहन के दोनों तरफ बड़े–बड़े अक्षरों में निम्नलिखित विवरण लिखा जाएगा : **"राज्य सरकार के विधायक निधि से खरीदे गए रोगी वाहन/शव वाहन...विधानसभा सदस्य के सौजन्य से"**।
- ❖ विधायक द्वारा उनकी एमएलएलेड योजना से रोगी वाहन के प्रबंध के बारे में जिला प्राधिकारी सरकारी अस्पताल/नगर पालिका/पंचायत कार्यालयों आदि में महत्वपूर्ण स्थलों पर संपर्क नंबरों के साथ सार्वजनिक नोटिस लगाएंगे ताकि लोग आपातकाल के समय रोगी वाहन की सेवाएं ले सकें तथा इसके दुरूपयोग अथवा उपयोग न होने की स्थिति में शिकायत दर्ज कर सकें ताकि जिला प्राधिकारी इन शिकायतों की उचित जांच कर आवश्यक कार्रवाई कर सके।

4 मानिटरिंग व्यवस्था :

4.1 इस योजना के अंतर्गत शुरू किये गए कार्यों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए स्थल निरीक्षण द्वारा भौतिकी निगरानी (Physical Monitoring) रखनी महत्वपूर्ण है। जिले के कलेक्टर को प्रत्येक वर्ष इन कार्यों में से कम से कम 10 प्रतिशत कार्यों का स्वयं निरीक्षण करना चाहिए। इसी तरह कार्यान्वयन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे इन कार्यों की नियमित रूप से जांच करते रहें और क्षेत्रीय दौरों द्वारा यह पता लगायें कि उनके द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे कार्यों की प्रगति संतोषजनक ढंग से चल रही है और उनका क्रियान्वन निर्धारित प्रक्रियाओं और विशिष्टताओं के अनुरूप हो रहा है। इसी प्रकार जिले, तहसील और विकासखंड स्तर के अधिकारियों को कार्य स्थल का दौरा करके इन कार्यों के कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए निरीक्षण का कार्यक्रम तैयार किया जायेगा। जिसमें प्रत्येक पर्यवेक्षण स्तर (Supervision level) के कर्मचारी के लिए निरीक्षण की संख्या निर्धारित की जानी चाहिए।

4.2 योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभागीय सचिवों/कलेक्टरों की बैठक में मॉनिटरिंग के स्वरूप और इस योजना से संबंधित मुद्दों पर विचार किया जायेगा।

4.3 योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग के पास चयनित कार्यों के बारे में सदैव पूर्ण और अद्यतन विवरण होना चाहिए।

4.4 छत्तीसगढ़ स्थानीय विकास योजना के अपूर्ण कार्यों को इस योजना के अंतर्गत क्रियान्वित किया जा सकेगा।

4.5 यदि इस योजना को क्रियान्वित करने में कोई कठिनाई उद्भूत हो तो उस कठिनाई को दूर करने के लिए योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग इस मार्गदर्शिका में यथावश्यक संशोधन कर सकेगा।

4.6 योजनान्तर्गत कार्यों की समीक्षा हेतु प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार संभागायुक्त की अध्यक्षता में समस्त क्रियान्वयन एजेंसियों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। जिसमें सम्भाग के अंतर्गत आने वाले समस्त विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों को आमंत्रित किया जाएगा। बैठक का कार्यवाही विवरण योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग को प्रेषित किया जावेगा।

4.7 वर्ष में स्वीकृत किये गये कार्यों को पूर्ण कराने की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की होगी। अगले वित्तीय वर्ष तक कार्य पूर्ण न होने पर संबंधित एजेंसी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाकर उचित कार्रवाई करने की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की होगी।

4.8 **आकस्मिक निधिः-** योजना के समुचित कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र हेतु वार्षिक पात्रता राशि रूपये 4.00 करोड़ में से एक प्रतिशत अर्थात रूपये 4.00 लाख आकस्मिक निधि के रूप में नोडल जिला एवं क्रियान्वयन जिला (यदि कोई हो तो) के मध्य वितरित किया जायेगा जिसे संदर्भित वित्तीय वर्ष में शासन के नियम निर्देशों के अनुसार व्यय किया जाना है। वर्षान्त में शेष राशि शासन को समर्पण कर दिया जायेगा।

यदि कोई विधानसभा क्षेत्र एक से अधिक जिलों में आ रहा हो तो उस विधानसभा क्षेत्र की पात्रता राशि के विरूद्ध आकस्मिक निधि की राशि समान रूप से वितरित होगी।

आकस्मिक निधि का व्यय -

नोडल जिलों और कार्यान्वयन जिलों द्वारा प्रशासनिक व्ययों का उपयोग निम्नानुसार किया जाएगाः—

नोडल जिला इस राशि का उपयोग अपने प्रशासनिक व्ययों तथा निम्नलिखित कार्य—कलापों के लिए कर सकता हैः

1. टेलीफोन—फैक्स, बिजली बिल, पानी बिल, डाक व्यय।
2. तीसरे पक्ष द्वारा निरीक्षण—वास्तविक लेखा परीक्षण तथा गुणवत्ता जांच।
3. कम्प्यूटर (केवल डेस्कटॉप), फैक्स मशीन क्रय।
4. लेखों आंकड़ा प्रविष्टि, वेबसाईट पर आंकड़े अपलोड करने, तकनीकी सहायता इत्यादि के लिए सेवाओं / परामर्शकों को किराये पर लेना।

(प्रत्येक जिले में लेखा संधारण इत्यादि हेतु एक व्यक्ति एवं तकनीकी सहायता हेतु एक व्यक्ति नियुक्त किया जायेगा अथवा इन कार्यों को आउटसोंस से किया जा सकता है।)

———OOO———

परिशिष्ट - 1

योजनान्तर्गत कार्यान्वित किये जा सकने वाले कार्यों की निर्देशात्मक (सम्पूर्ण नहीं) सूची

क. शिक्षा हेतु भवनों का निर्माण : निर्वाचन क्षेत्र में स्थित विद्यालय/विश्वविद्यालय में आवश्यक निर्माण/विकास कार्य।

ख. गांवों, कस्बों अथवा नगरों के लोगों के लिए नलकूप खोदकर अथवा उससे संबंधित अन्य कार्यों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराना एवं पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पॉवर पंप, पाईप लाईन का डाला जाना, पानी का टैंकर प्रदाय करना।

ग. ग्रामीण सड़कों अथवा संपर्क सड़कों का निर्माण : शहर/ग्रामीण आबादी क्षेत्र की आंतरिक सड़कों का डामरीकरण।

घ. संपर्क सड़कों पर रपटों तथा पुलों का निर्माण।

ङ. वृद्ध और विकलांगों के लिए सामुदायिक रैन–बसेरों का निर्माण करना।

च. सांस्कृतिक तथा खेल गतिविधियों के लिए छोटे भवनों का निर्माण करना। चौपाल (चबूतरा) निर्माण।

छ. सरकारी और सामुदायिक भूमि पर सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी, बागवानी, उद्यानों बगीचों का निर्माण करना, उद्यान में चेयर निर्माण, उद्यान में पाथवे निर्माण कार्य।

ज. ग्रामों में सीमेंट कांक्रीट मार्ग का निर्माण।

झ. सामुदायिक उपयोग एवं सम्बद्ध गतिविधियों के लिए सार्वजनिक गोबर गैस संयंत्र, गैर परंपरागत ऊर्जा प्रणालियों/उपादानों का निर्माण।

त्र. भूमिगत जल स्तर संवर्धन परियोजनाएं (रिचार्ज वेल एवं रिचार्ज पिट का निर्माण)

ट. सार्वजनिक वाचनालय अथवा अध्ययन कक्ष का निर्माण तथा इसके लिए पुस्तक एवं फर्नीचर का क्रय। किन्तु फर्नीचर क्रय हेतु व्यय राशि कुल राशि का अधिकतम 10 प्रतिशत हो सकता है।

ठ. बालवाड़ी तथा आंगनबाड़ियों का निर्माण।

ड. परिवार कल्याण उप केन्द्रों सहित जन स्वास्थ्य भवनों तथा चीर गृहों (Post-mortem) का निर्माण।

ढ. शवदाह गृह/कब्रिस्तानों का निर्माण।

ण. सार्वजनिक शौचालयों तथा स्नानगृहों का निर्माण।

त. नालियों और नालों का निर्माण।

थ. ग्रामीण क्षेत्रों में हाट बाजार में एवं सामुदायिक स्थानों में नल–जल योजना।

द. शहरी गंदी बस्तियों, कस्बों और गांवों में पानी, रास्तों में सार्वजनिक शौचालयों जैसी नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था, गंदी बस्तियों में कारीगरों के लिए सार्वजनिक वर्कशेडों का निर्माण और नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट लगाने संबंधी कार्य। विद्युत लाईन डालने में आवश्यक हो तो ट्रॉसफार्मर की स्थापना।

ध. सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करने वालों लोगों के लिए बस शेडों/स्टापों का निर्माण।

न. पशु चिकित्सा सहायता केन्द्र/कांजी हाऊस निर्माण।

प. पांचवी अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में पुलिस थाना/चौकी का निर्माण। (शासन की स्वीकृति लेकर)

फ. अपूर्ण योजनाओं को पूरा करना। (शासन की स्वीकृति लेकर)

ब. सामाजिक संगठनों द्वारा भवनों/धर्मशाला/शाला भवन का निर्माण (शासन की स्वीकृति लेकर)।

भ. सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु गोदाम/केरोसीन भंडारण व्यवस्था का निर्माण।

म. शासकीय भवनों के लिए चार लाख रूपये के वित्तीय सीमा तक मरम्मत संबंधी कार्य। (विगत वर्षों में विधायक निधि से निर्मित परिसम्पत्तियों की मरम्मत, सिंचाई बांध एवं नहरों की मरम्मत जल संसाधन विभाग के कृषि सिंचाई हेतु नलकूपों की विशेष रख–रखाव, मोटरों की तकनीकी मरम्मत। पुलिस थाना/चौकी का निर्माण।)

य. शिक्षण संस्थाओं के लिए राजीव गांधी बहुमाध्यमिक अध्ययन केन्द्र भवन की स्थापना।

र. समस्त शासकीय विद्यालयों/शासकीय भवन/सार्वजनिक सामुदायिक भवन/सांस्कृतिक भवन के निर्माण कार्य तथा बाऊड्रीवाल/आहता निर्माण कार्य।

ल. शासकीय शिक्षण संस्थाओं को पुस्तकालय, प्रयोगशाला, उपकरण (यथा वर्नियर कैलीपर्स आदि) हेतु अनुदान। (प्रत्येक वर्ष में अधिकतम रू. 10.00 लाख तक, किसी संस्था के जीवनकाल में अधिकतम रू. 10.00 लाख की सीमा तक ही दिया जा सकता है।)

व. शासकीय संस्थाओं एवं विद्यालयों हेतु खेल सामग्री एवं व्यायाम उपकरण का क्रय। (वार्षिक अधिकतम रू. 10.00 लाख तक)

स. समस्त विधायक प्रत्येक प्रचण्ड आपदा के समय अपने निर्वाचन क्षेत्रों/राज्यों के बाहर पांच लाख रूपये तक संबंधित जिला प्रशासन/राज्य शासन को प्रदान कर सकते है।

श. गौ–शाला का निर्माण।

ष. एबुलेंस क्रय/शव वाहन क्रय एवं प्रदाय।(शासन की अनुमति से)।

ह. नोवल कोरोना वायरस (कोविड–19) संक्रमण के रोकथाम हेतु उपाय करने व सामग्री क्रय किया जाना।

क्ष. गौठान का निर्माण।

त्र. विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र के जिले में स्थापित होने वाले ''स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों'' हेतु रूपये 20.00 लाख तक जिला प्रशासन को प्रदान कर सकते हैं।

———OOO———

परिशिष्ट - 2

कार्यों की सूची जो योजना के अंतर्गत अनुमेय (स्वीकृति योग्य) नहीं है

क. वे कार्य जो जिला योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं।

ख. कार्यालय भवन, आवासीय भवन तथा अन्य भवन जो केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के विभागों, एजेंसियों अथवा संगठनों से संबंधित है।

ग. व्यवसायिक संगठनों, ट्रस्टों, पंजीकृत सोसायटियों, नवीन निजी संस्थाओं, सहायता प्राप्त संस्थाओं अथवा सहकारी संस्थाओं से संबंधित कार्य।

घ. किसी भी प्रकार के मरम्मत और रख–रखाव का कार्य।
(शासकीय भवनों के मरम्मत संबंधी कार्य को छोड़कर)

ङ. अनुदान एवं ऋण।

च. सामग्री की खरीद अथवा किसी भी प्रकार का भंडार, निम्नांकित को छोड़कर –

- शासकीय शिक्षण संस्थाओं को पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला उपकरण (यथा वर्नियर कैलीपर्स आदि) कम्प्यूटर क्रय हेतु अनुदान।
- शासकीय संस्थाओं एवं विद्यालयों हेतु खेल सामग्री एवं व्यायाम उपकरण का क्रय।

छ. भूमि का अधिग्रहण अथवा अर्जित भूमि के लिए मुआवजा।

ज. व्यक्तिगत लाभ के लिए परिसंपत्तियां, सिवाय उनके जो अनुमोदित योजनाओं के भाग है।

झ. धार्मिक कार्यकलापों के लिए स्थान।

———OOO———

परिशिष्ट - 3

सम्पूर्ण विलोपित।

———OOO———

परिशिष्ट - 4

//करार प्रपत्र//

यह करार .... के राज्यपाल जो ....(पदनाम एवं पता) जिला प्राधिकारी जिन्हें आगे पहले भाग का प्रथम पक्ष

तथा

....(पंजीकृत सोसाइटी/पंजीयक न्यास का नाम एवं पता) के मुख्य अधिशासी जिन्हे आगे दूसरे भाग का द्वितीय पक्ष कहा गया है के बीच किया गया है।

जबकि प्रथम पक्ष, जिला प्राधिकारी के रूप में विधायकों द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर अनशंसित विकासात्मक कार्यों को ....जिला में कार्यान्वित करवाने के लिये एक मात्र प्राधिकारी है।

और

जबकि द्वितीय पक्ष, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम,1860 के अन्तर्गत पंजीकृत सोसाइटी अथवा भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 या किसी राज्य के किसी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत के अन्तर्गत न्यास के रूप में (तिथि, मास, वर्ष) से ....वर्ष से अधिक समय से समाज सेवा/कल्याण गतिविधियों के क्षेत्र में सुस्थापित और ख्याति प्राप्त है।

इसलिए अब दोनों पक्षों में इस करार पर सहमति हुई है और वे अपने आप को निम्नलिखित शर्तो से बाध्य मानते हैं।

1. प्रथम पक्ष उपरोक्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत कार्यों के कार्यान्वयन हेतु विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के समय–समय पर संशोधित दिशा–निर्देशों के अनुसार विधायकों द्वारा की गई अनुशंसा पर ....(कार्य का नाम) के निर्माण का कार्य करेगा।
2. द्वितीय पक्ष, दिशा निर्देशों के अनुसार आम जनता के लाभार्थ जनता द्वारा प्रयोग के लिये विषय पर प्रथम पक्ष द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना निधियों से सृजित परिसम्पत्तियों के प्राप्त करने तथा इसका रखरखाव करने के लिए पात्र होगा।
3. यह कार्य ....(स्थान का नाम, जिला तथा पिनकोड) में......... ....(कार्य का नाम) के निर्माण के लिये, जिसकी लागत पर दोनों पक्षों ने आपसी सहमति जताई है और जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत...(संबंधित विधायक का नाम) द्वारा विधिवत्

रूप से अनुशंसित किया गया है, जो निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात दूसरे पक्ष को सौपने के लिये प्रथम पक्ष द्वारा कराया जायेगा।

4. प्रथम पक्ष, सोसाइटी/न्यास से सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के खण्ड 13 के विशेष सदंर्भ में सोसाइटी के संस्था ज्ञापन तथा न्यास अधिनियम की धारा 78 के विशेष संदर्भ के रूप में न्यास विलेख/तथा संगठन के अस्तिव एवं प्रतिष्ठा से तथा एक गैर लाभ संस्था के रूप में उसकी कार्य प्रणाली, निष्पादन की पारदर्शिता, अच्छी वित्तीय स्थिति लोगों के बीच उसकी प्रतिष्ठा से अपने आप को संतुष्ट करने के लिये आवश्यक रिकार्ड मंगा सकता है।

5. द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को इस आशय का ब्यौरा देगा जिस संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहा है वह एक क्रियाशील संगठन है तथा पिछले तीन वर्षों से कार्य कर रहा है और सामाजिक सेवा तथा/अथवा कल्याण गतिविधियों में कार्यरत है।

6. द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को यह भी ब्यौरा देगा कि द्वितीय पक्ष द्वारा विकास कार्यों के लिये प्रथम पक्ष के लिये दी गई भूमि तथा स्थाई परिसम्पत्ति सभी तरह की बाधाओं से मुक्त है, लंबित मुकदमे बाजी से मुक्त है तथा शहरी भूमि (हदबंदी तथा नियमन) अधिनियम, 1976 से प्रभावित नहीं है।

7. द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को यह ब्यौरा भी देगा कि विधानसभाा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना निधियों से सोसाइटी.. अथवा ट्रस्ट के लिये बनाई गई परिसम्पत्तियों हर तरह की बाधा से सिवाय इस कार्य/परियोजना के उद्देश्य के लिये गये अग्रिम से मुक्त है।

8. द्वितीय पक्ष को यह सुनिश्चित करना होगा कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना से निर्मित स्थाई परिसम्पत्तियां जो कि द्वितीय पक्ष द्वारा दी गई सम्पत्तियों पर निर्मित की गई है, आम जनता के लिए हमेशा उपलब्ध होगी। यदि यह पाया जाता है कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना निधियों से निर्मित परिसम्पत्तियों का जिस उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया था, द्वितीय पक्ष द्वारा प्रयोग नहीं किया जा रहा है और/आम जनता के उक्त आधारी संरचना तक पहुंच नहीं है, तो प्रथम पक्ष दूसरे पक्ष को आवश्यक सूचना जारी करेगा तथा दूसरे पक्ष की राय पर विचार करने के बाद, यदि प्रथम पक्ष आवश्यक समझे तो उस परिसम्पत्ति का अधिग्रहण कर लेगा एवं 18 प्रतिशत ब्याज की दर से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत किये गये निवेश के बराबर लागत वसूल करेगा।

9. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना निधियों से जो परिसम्पत्तियों का निर्माण किया जायेगा, उसे बिना राज्य सरकार की अनुमति के विक्रय नहीं किया जा सकेगा और उस अंश पर राज्य सरकार का स्वामित्व रहेगा।

10. द्वितीय पक्ष विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना निधियों से निर्मित ऐसी परिसम्पत्तियों के बिना राज्य सरकार के लिखित अनुमोदन के विक्रय/हस्तांतरण/

अन्यथा उसके किसी हिस्से का निपटान नहीं करेगा। सरकार के लिखित अनुमोदन के पश्चात सभी परिस्थितियों में परिसम्पत्तियों के विक्रय से प्राप्ति जो कि 18 प्रतिशत ब्याज की दर से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत किये गये निवेश की सीमा तक, हमेशा प्रथम पक्ष के पास निहित एवं उनसे संबंधित रहेगी।

11. द्वितीय पक्ष एतद् द्वारा परिसम्पत्तियों के प्रचालन,रखरखाव एवं व्यवस्था का पूरा उत्तरदायित्व लेता है बशर्ते जिसका प्रथम पक्ष अथवा उसके किसी प्रतिनिधि/उसकी और से विधिवत् प्राधिकृत नामित व्यक्ति द्वारा आवधिक रूप से लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण किया जायेगा।

12. द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को नियमित रूप से तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 90 दिनों के अंदर वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षित लेखों को प्रस्तुत करेगा।

13. चूंकि इस करार नामे से अचल सम्पत्ति पर 100/— रूपये से अधिक की ब्याज भविष्य में अर्जित होता है, इस करार नामे को संबंधित जिले में पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत किया जाना चाहिये।

14. इस करार नाम में जहां भी करार नामे शामिल शर्तो के कार्य क्षेत्र तथा प्रभाव की पूर्ण व्याख्या की आवश्यकता होगी, जिला प्राधिकारी अथवा सोसाइटी अथवा न्यास पर अपनी उत्तरवर्ती अथवा अनुमत समनुदेशिती(समनुदेशितों) को शामिल करेगा।

साक्षी के रूप में उपस्थित पक्षों द्वारा विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा इस करार नामे को यहां उपरोक्त लिखे गये दिवस तथा वर्ष को कार्यान्वित किया गया है।

....(राज्य) के राज्यपाल के लिये तथा उनकी ओर से जिला प्राधिकारी द्वारा निष्पादित

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में

1...

2...

सोसाइटी/न्यास/द्वितीय, पक्ष जिसे ....के संकल्प दिनांक .... के द्वारा हस्ताक्षर करने तथा इस करारनामे को निष्पादन करने का प्राधिकारी है, के लिये तथा उनकी ओर से..द्वारा निष्पादित निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में

1...

2...

अनुबंध - 1

विधानसभा सदस्य द्वारा उपयुक्त कार्यों की अनुशंसा हेतु प्रपत्र

(अनुशंसा विधायक के पत्र शीर्ष पर की जाए)

स्थान............................दिनांक..............................

प्रेषक

नाम ....

विधानसभा सदस्य

पता ....

सेवा में,

जिला कलेक्टर

विषयः— विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कार्यों की अनुशंसा।

महोदय,

मैं अनुशंसा करता हूँ कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना निधि से नीचे दी गई प्राथमिकता के अनुसार निम्नलिखित कार्यों की कृपया संवीक्षा करें तथा मंजूरी दें। प्राथमिकता संख्या ....में कार्य उस क्षेत्र के विकास के लिए हैं,

प्राथमिकता संख्या	कार्य का स्वरूप (क्षेत्र का नाम)	स्थान	लगभग लागत (रूपयों में)
1			
2			
3			
4			
5			
6			

(यदि विधायक अपने अधिकार के अनुसार अधिक कार्यों की अनुशंसा करता है तो प्राथमिकता सूची में वृद्धि हो सकती है।)

2. उपर्युक्त कार्यों की कृपया संवीक्षा की जाए और इस पत्र की प्राप्ति के .... दिन के अंदर तकनीकी,वित्तीय और प्रशासनिक मंजूरी जारी की जाए। मंजूरी वाले कार्यों को एमएलएलेड्स के प्रावधानों के अनुसार शीघ्र पूर्ण किया जाए। कृपया मुझे मंजूरी और कार्य के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की सूचना दें। यदि कोई अनुशंसित कार्य न होने लायक/अस्वीकृत पाया जाता है तो इसके लिए ....दिनों के भीतर मुझे अवगत कराया जाए। यदि मंजूरी में ....से अधिक विलंब होता है तो इसके लिए कारणों से भी मुझे अवगत कराया जाए।

भवदीय,

(विधायक के हस्ताक्षर)

अनुबंध - 2

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के कार्यों के बारे में पट्टिका का नमूना

1. योजना का नाम :...
2. मान. विधायक का नाम :...
3. स्वीकृत कार्य का नाम :...
4. क्रियान्वयन एजेंसी का नाम :...
5. कार्य आरंभ करने की तिथि :...
6. कार्य पूरा करने की तिथि :...
7. स्वीकृत कार्य की लागत :...
8. उद्घाटन की तिथि :...

अनुबंध - 3

विधानसभा सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना
(MLALADS)
कार्य समापन रिपोर्ट
(कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा जिला प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाने वाली)

प्रमाणित किया जाता है कि आदेश क्रमांक ....दिनांक ....के तहत स्वीकृत कार्य संख्या...(कार्य का विवरण) जिसे एमएलएलेड्स के अंतर्गत रूपये...(अंको तथा शब्दों में) की लागत पर ....(स्थान) में निष्पादित होना था, को रूपये.. ....की लागत पर पूरा कर लिया गया है और ....(दिनांक) से प्रयोग करने की सूचना जिला प्राधिकारी को देते हुए प्रयोगकर्त्ता अभिकरण.. (नाम तथा पता) को सौंप दिया गया है।

बचत राशि अर्थात रूपये..(अंको तथा शब्दों में) को .... पता सहित बैंक का नाम) पर आहरित चैक संख्या... दिनांक............................ के तहत जिला प्राधिकारी को वापस किया कर दिया गया है।

कार्यान्वयन अभिकरण के हस्ताक्षर

दिनांक : / /2023.

स्थान :..

जिलाः...